International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 10 Issue: 10 | Oct - 2026 SJIF Rating: 8.659 ISSN: 2582-3930

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका (मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में एक अनुभवजन्य अध्ययन)

Vinay Sisodiya[1], Dr. Deepak[2]

1*Research Scholar, School of Humanities & Culture, Vikrant University, Gwalior, (M.P.), India vinaysisodiya705@gmail.com

2*Ph.D. Guide, School of Humanities & Culture, Vikrant University, Gwalior, (M.P.), India sandy3061987@gmail.com

सारांश

ग्रामीण भारत में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups—SHGs) एक महत्वपूर्ण सामुदायिक संस्थागत व्यवस्था के रूप में उभरे हैं। प्रारम्भ में स्वयं सहायता समूहों का प्रमुख उद्देश्य बचत एवं सूक्ष्म ऋण तक पहुँच उपलब्ध कराना था, किन्तु वर्तमान समय में ये समूह आजीविका विकास, वित्तीय समावेशन, कौशल निर्माण, उद्यमिता, सामाजिक जागरूकता, सामूहिक निर्णय-निर्माण तथा स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने वाले मंच के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में यह विश्लेषण करना है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। अध्ययन में सशक्तिकरण को एक बहुआयामी अवधारणा के रूप में देखा गया है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक/सामुदायिक तथा घरेलू निर्णय-निर्माण संबंधी आयाम शामिल हैं।

प्रस्तावित अध्ययन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की शोध-पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा। बड़वानी जिले के चयनित विकासखंडों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं से प्राथमिक आँकड़े एकत्र किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह में सदस्यता की अवधि, बैठकों में भागीदारी, बचत, ऋण की उपलब्धता, प्रशिक्षण, आजीविका गतिविधियों में सहभागिता तथा नेतृत्व की भूमिका को स्वतंत्र चर के रूप में तथा महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को आश्रित चर के रूप में मापा जाएगा। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी, विश्वसनीयता परीक्षण, कारक विश्लेषण, सहसंबंध, बहु-प्रतिगमन तथा आवश्यकता के अनुसार संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

अध्ययन का मूल तर्क यह है कि केवल स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना अपने आप में सशक्तिकरण की गारंटी नहीं है। सदस्यता की अवधि, भागीदारी की तीव्रता, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, आजीविका के अवसर तथा सामूहिक नेतृत्व जैसे कारक यह निर्धारित करते हैं कि स्वयं सहायता समूह किस सीमा तक महिलाओं की वास्तविक एजेंसी और स्वायत्तता को बढ़ा पाते हैं। बड़वानी जिले के ग्रामीण एवं जनजातीय संदर्भ में यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, स्वयं सहायता समूह महासंघों, गैर-सरकारी संगठनों, बैंकों तथा स्थानीय शासन संस्थाओं के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रदान कर सकता है।

मुख्य शब्द: स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म वित्त, आजीविका विकास, जनजातीय महिलाएँ, बड़वानी, मध्य प्रदेश।

1. प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण समकालीन विकास विमर्श का एक केंद्रीय विषय है। सशक्तिकरण केवल महिलाओं की आय में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संसाधनों तक पहुँच, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी तथा अपनी पसंद और विकल्पों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता भी सम्मिलित है। ग्रामीण भारत में महिलाओं को वित्तीय संसाधनों, उत्पादक परिसंपत्तियों, रोजगार, बाजार, शिक्षा, तकनीक और संस्थागत निर्णय-निर्माण तक पहुँच में अनेक संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

इसी संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक संगठन के माध्यम से वित्तीय एवं सामाजिक पूँजी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूह सामान्यतः नियमित बचत, आंतरिक ऋण, बैंक से जुड़ाव, प्रशिक्षण और सामूहिक निर्णय-निर्माण पर आधारित होते हैं। समय के साथ इनका कार्यक्षेत्र सूक्ष्म वित्त से आगे बढ़कर आजीविका, उद्यमिता, सामाजिक विकास, स्थानीय शासन और सामुदायिक नेतृत्व तक विस्तृत हुआ है।

भारत में दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इस व्यापक नेटवर्क ने SHGs को ग्रामीण महिलाओं की सामूहिक क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन की प्रमुख संस्थाओं में बदल दिया है।

बड़वानी जिला इस विषय के अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों की बड़ी आबादी है तथा आजीविका, प्रवासन, वित्तीय समावेशन और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। जिले में स्वयं सहायता समूहों और महिला संघों के माध्यम से महिलाओं की बचत, ऋण, आजीविका तथा सामुदायिक भागीदारी से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए जाते रहे हैं। इसलिए बड़वानी का संदर्भ यह समझने के लिए उपयुक्त है कि SHGs आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़कर महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक एजेंसी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

2. शोध समस्या

स्वयं सहायता समूहों और महिला सशक्तिकरण के बीच सकारात्मक संबंध की ओर अनेक अध्ययनों ने संकेत किया है। फिर भी तीन प्रमुख शोध-अंतर दिखाई देते हैं। पहला, अनेक अध्ययनों में सशक्तिकरण का आकलन मुख्यतः आय, बचत या ऋण की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, जबकि सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। दूसरा, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उपलब्ध साहित्य की तुलना में बड़वानी जिले के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और जनजातीय संदर्भ में अनुभवजन्य अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। तीसरा, स्वयं सहायता समूह की सदस्यता और वास्तविक सशक्तिकरण को एक समान मान लेना उचित नहीं है; सदस्यता की अवधि और सहभागिता की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य शोध-समस्या कथन यह है कि बड़वानी जिले में स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार और किस सीमा तक उनके आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा घरेलू निर्णय-निर्माण संबंधी सशक्तिकरण को प्रभावित करती है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. बड़वानी जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति एवं तीव्रता का आकलन करना।
3. स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में विश्लेषण करना।
4. महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण पर स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. महिलाओं के मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण, आत्मविश्वास एवं आत्म-प्रभावकारिता पर SHGs की भूमिका का परीक्षण करना।
6. महिलाओं की राजनीतिक एवं सामुदायिक भागीदारी पर स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव का अध्ययन करना।
7. घरेलू निर्णय-निर्माण में महिलाओं की स्वायत्तता पर SHG सहभागिता के प्रभाव का परीक्षण करना।
8. स्वयं सहायता समूह में सदस्यता की अवधि एवं सहभागिता की तीव्रता तथा महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध का अध्ययन करना।
9. SHGs के प्रभावी उपयोग में आने वाली सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत बाधाओं की पहचान करना।
10. बड़वानी जिले में महिला सशक्तिकरण हेतु SHG-आधारित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध प्रश्न

1. क्या स्वयं सहायता समूह में भागीदारी ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है?
2. क्या SHG सहभागिता महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में वृद्धि करती है?
3. क्या SHG सहभागिता महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान एवं मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण को प्रभावित करती है?
4. क्या स्वयं सहायता समूह महिलाओं की घरेलू निर्णय-निर्माण क्षमता को बढ़ाते हैं?
5. क्या SHG सहभागिता महिलाओं की सामुदायिक एवं राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाती है?
6. क्या स्वयं सहायता समूह की सदस्यता की अवधि महिला सशक्तिकरण के स्तर को प्रभावित करती है?
7. क्या SHG बैठकों, प्रशिक्षण एवं सामूहिक गतिविधियों में सहभागिता की तीव्रता सशक्तिकरण से संबंधित है?
8. SHG से जुड़ी महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक एवं संस्थागत कारक कौन से हैं?

5. परिकल्पनाएँ

H1: स्वयं सहायता समूह में भागीदारी का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव है।

H2: स्वयं सहायता समूह में भागीदारी का महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव है।

H3: स्वयं सहायता समूह में भागीदारी का महिलाओं के मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव है।

H4: स्वयं सहायता समूह में भागीदारी का महिलाओं की राजनीतिक/सामुदायिक भागीदारी पर सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव है।

H5: स्वयं सहायता समूह में भागीदारी का महिलाओं की घरेलू निर्णय-निर्माण स्वायत्तता पर सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव है।

H6: स्वयं सहायता समूह की सदस्यता की अवधि का महिला सशक्तिकरण के साथ सकारात्मक संबंध है।

H7: SHG गतिविधियों में सहभागिता की आवृत्ति का महिला सशक्तिकरण के साथ सकारात्मक संबंध है।

H8: SHG के माध्यम से ऋण की उपलब्धता आर्थिक सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

H9: SHG से जुड़ी आजीविका गतिविधियों में भागीदारी आर्थिक सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।

H10: वित्तीय साक्षरता SHG सहभागिता और आर्थिक सशक्तिकरण के बीच मध्यस्थ चर की भूमिका निभाती है।

6. वैचारिक ढाँचा

अध्ययन का प्रस्तावित वैचारिक मॉडल निम्न प्रकार है:

स्वयं सहायता समूह में भागीदारी → बचत एवं ऋण तक पहुँच → वित्तीय साक्षरता → कौशल/प्रशिक्षण → आजीविका विकास → आय एवं आर्थिक स्वायत्तता → सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षमता → निर्णय-निर्माण एवं सामुदायिक भागीदारी → महिला सशक्तिकरण।

इस मॉडल में महिला सशक्तिकरण को पाँच प्रमुख आयामों—आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक/सामुदायिक तथा घरेलू निर्णय-निर्माण—के माध्यम से मापा जाएगा।

7. अध्ययन क्षेत्र: बड़वानी जिला

बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका ग्रामीण तथा जनजातीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ अध्ययन के लिए विशेष महत्व रखता है। जिले में कृषि, मजदूरी, पशुपालन, लघु उद्यम और अन्य ग्रामीण आजीविका गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। प्रवासन तथा बाजार और संस्थागत सेवाओं तक असमान पहुँच जैसी परिस्थितियाँ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित कर सकती हैं।

बड़वानी में स्वयं सहायता समूहों तथा महिला समूहों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, आजीविका विकास, नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी से संबंधित पहलें संचालित हुई हैं। उपलब्ध केस-अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि कुछ SHG सदस्य वित्तीय गतिविधियों से आगे बढ़कर सामुदायिक नेतृत्व तथा स्थानीय शासन में भागीदारी करने लगी हैं। यह स्थिति अध्ययन को केवल 'सूक्ष्म वित्त' के बजाय 'सामूहिक एजेंसी' और 'सशक्तिकरण' के व्यापक दृष्टिकोण से देखने का आधार प्रदान करती है।

8. शोध पद्धति

8.1 शोध अभिकल्प

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक अनुभवजन्य शोध अभिकल्प अपनाया जाएगा। मात्रात्मक सर्वेक्षण के साथ सीमित गुणात्मक साक्षात्कारों का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, ताकि सांख्यिकीय परिणामों के पीछे मौजूद अनुभवों, धारणाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं को भी समझा जा सके।

8.2 अध्ययन की जनसंख्या

अध्ययन की जनसंख्या में बड़वानी जिले के चयनित विकासखंडों में कार्यरत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएँ शामिल होंगी।

8.3 नमूना चयन

बहु-स्तरीय नमूना चयन पद्धति अपनाई जा सकती है। प्रथम चरण में जिले के सामाजिक-आर्थिक एवं भौगोलिक विविधता वाले 4–5 विकासखंड चुने जा सकते हैं। दूसरे चरण में चयनित विकासखंडों से 20–30 गाँवों का चयन किया जा सकता है। तीसरे चरण में SHG सदस्य सूची के आधार पर महिला उत्तरदाताओं का यादृच्छिक या व्यवस्थित चयन किया जा सकता है। शोध-पत्र के लिए लगभग 400–500 उत्तरदाताओं का नमूना सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त रहेगा, यद्यपि अंतिम नमूना आकार उपलब्ध जनसंख्या और सांख्यिकीय शक्ति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

8.4 स्वतंत्र चर: SHG सहभागिता

SHG सहभागिता को निम्न संकेतकों से मापा जा सकता है: सदस्यता की अवधि, बैठकों में उपस्थिति, नियमित बचत, बचत की राशि, ऋण की उपलब्धता, ऋण की संख्या, ऋण पुनर्भुगतान, प्रशिक्षण, आजीविका गतिविधियों में भागीदारी, नेतृत्व की भूमिका तथा SHG महासंघ/सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता।

8.5 आश्रित चर: महिला सशक्तिकरण

सशक्तिकरण का आयाम	प्रमुख संकेतक	मापन का उदाहरण
आर्थिक	आय, बचत, ऋण, परिसंपत्ति, रोजगार	आय एवं वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण
सामाजिक	गतिशीलता, सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक भागीदारी	सार्वजनिक/सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता
मनोवैज्ञानिक	आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान, आत्म-प्रभावकारिता	स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की क्षमता
राजनीतिक/सामुदायिक	ग्राम सभा, पंचायत, सार्वजनिक निर्णय	स्थानीय निर्णय-निर्माण में भागीदारी

निर्णय-निर्माण	स्वास्थ्य, शिक्षा, खर्च, आजीविका	घरेलू निर्णयों में प्रभाव

8.6 मापन पैमाना

धारणात्मक प्रश्नों के लिए पाँच-बिंदु लिकर्ट पैमाना उपयोग किया जा सकता है: 1 = पूर्णतः असहमत, 2 = असहमत, 3 = न तो सहमत न असहमत, 4 = सहमत, 5 = पूर्णतः सहमत।

उदाहरण: 'स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मेरी वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है।' 'मैं ग्राम सभा अथवा सार्वजनिक बैठकों में पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास से अपनी बात रखती हूँ।' 'SHG ने मुझे बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाया है।'

9. आँकड़ा विश्लेषण की प्रस्तावित तकनीकें

- वर्णनात्मक सांख्यिकी: आवृत्ति, प्रतिशत, माध्य और मानक विचलन।
- विश्वसनीयता परीक्षण: Cronbach's Alpha।
- निर्माण वैधता: KMO एवं Bartlett's Test।
- अन्वेषणात्मक कारक विश्लेषण (EFA)।
- Pearson सहसंबंध विश्लेषण।
- t-test तथा ANOVA, जहाँ उपयुक्त हो।
- बहु-प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा SHG सहभागिता के प्रभाव का परीक्षण।
- आवश्यकता के अनुसार मध्यस्थता/मॉडरेशन विश्लेषण।
- पर्याप्त नमूना एवं उपयुक्त मापन मॉडल होने पर Structural Equation Modelling (SEM)।
- गुणात्मक साक्षात्कारों के लिए थीमैटिक विश्लेषण।

10. प्रस्तावित प्रतिगमन मॉडल

महिला सशक्तिकरण सूचकांक के लिए प्रस्तावित मॉडल:

$$WE_i = \beta_0 + \beta_1 SHGP_i + \beta_2 FL_i + \beta_3 CR_i + \beta_4 LD_i + \beta_5 TR_i + \beta_6 AGE_i + \beta_7 EDU_i + \beta_8 INC_i + \varepsilon_i$$

जहाँ WE = महिला सशक्तिकरण, SHGP = SHG सहभागिता, FL = वित्तीय साक्षरता, CR = ऋण तक पहुँच, LD = आजीविका विकास, TR = प्रशिक्षण, AGE = आयु, EDU = शिक्षा, INC = घरेलू आय तथा ε = त्रुटि पद है।

11. अपेक्षित शोध निष्कर्ष

प्रस्तावित अध्ययन से यह अपेक्षा की जाती है कि SHG सहभागिता और महिला सशक्तिकरण के बीच सकारात्मक संबंध प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुँच, आजीविका गतिविधियों में भागीदारी तथा समूह-आधारित नेतृत्व आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण निर्धारक हो सकते हैं।

यह भी संभावित है कि लंबे समय से SHG से जुड़ी महिलाओं तथा नियमित रूप से बैठकों एवं प्रशिक्षण में भाग लेने वाली महिलाओं का सशक्तिकरण स्तर अपेक्षाकृत अधिक हो। हालांकि, इन निष्कर्षों को वास्तविक प्राथमिक आँकड़ों के सांख्यिकीय परीक्षण के बाद ही स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए।

12. शोध का महत्व

सैद्धांतिक स्तर पर अध्ययन महिला सशक्तिकरण को एक बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझने में योगदान देगा। अनुभवजन्य स्तर पर यह बड़वानी जिले के संदर्भ में स्थानीय साक्ष्य उपलब्ध कराएगा। नीतिगत स्तर पर अध्ययन DAY-NRLM, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, NABARD, बैंकिंग संस्थाओं, पंचायतों, गैर-सरकारी संगठनों और SHG महासंघों के लिए उपयोगी हो सकता है।

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह होगा कि यह SHG सदस्यता को स्वतः सशक्तिकरण का पर्याय न मानकर सहभागिता की गुणवत्ता, अवधि, वित्तीय पहुँच, कौशल और नेतृत्व जैसे मध्यवर्ती तंत्रों की भूमिका का परीक्षण करेगा।

13. चर्चा हेतु केंद्रीय तर्क

स्वयं सहायता समूह महिलाओं को केवल वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि सामूहिकता और सामाजिक पूँजी का निर्माण भी करते हैं। सामूहिकता के माध्यम से महिलाएँ जानकारी, संसाधन, अनुभव और सामाजिक समर्थन साझा करती हैं। इससे उनकी संस्थागत पहुँच, आत्मविश्वास और सौदेबाजी की क्षमता बढ़ सकती है। इस प्रक्रिया को निम्न रूप में समझा जा सकता है:

सामूहिक संगठन → संसाधनों तक पहुँच → क्षमता निर्माण → आत्मविश्वास → सौदेबाजी की शक्ति → निर्णय-निर्माण → सामुदायिक भागीदारी → महिला सशक्तिकरण।

अतः SHGs को केवल माइक्रोफाइनेंस की इकाई के रूप में देखना अपर्याप्त है। वे ग्रामीण महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एजेंसी विकसित करने वाली सामुदायिक संस्थाएँ भी हो सकती हैं।

14. प्रमुख नीतिगत सुझाव

• SHG सदस्यों के लिए उन्नत वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल वित्त प्रशिक्षण को नियमित बनाया जाए।

• महिलाओं को केवल ऋण उपलब्ध कराने के बजाय बाजार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ई-कॉमर्स से जोड़ा जाए।

• SHG महासंघों को स्थानीय शासन एवं ग्राम-स्तरीय योजना प्रक्रिया से अधिक प्रभावी रूप से जोड़ा जाए।

• जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं की पहुँच मजबूत की जाए।

• महिला नेतृत्व विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएँ।

• SHG की सदस्यता की अवधि के साथ-साथ सहभागिता की गुणवत्ता और वास्तविक निर्णय-निर्माण क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाए।

• स्थानीय स्तर पर SHG उत्पादों के लिए स्थायी बाजार एवं सरकारी खरीद के अवसर बढ़ाए जाएँ।

• SHG कार्यक्रमों में महिलाओं के मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को भी प्रदर्शन संकेतकों में शामिल किया जाए।

15. निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम के रूप में विकसित हुए हैं। इनके माध्यम से बचत, ऋण, वित्तीय समावेशन और आजीविका के अवसरों के साथ-साथ सामाजिक नेटवर्क, आत्मविश्वास, नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी के अवसर भी विकसित हो सकते हैं। बड़वानी जिले का ग्रामीण एवं जनजातीय संदर्भ इस प्रक्रिया के अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित अध्ययन का केंद्रीय निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण यह है कि SHG की सफलता को केवल ऋण वितरण, बचत अथवा सदस्यों की संख्या से नहीं मापा जाना चाहिए। वास्तविक सफलता तब मानी जानी चाहिए जब महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच, आय पर नियंत्रण, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी में स्थायी सुधार दिखाई दे। इसलिए बड़वानी जिले में SHGs की भूमिका का बहुआयामी अनुभवजन्य अध्ययन महिला सशक्तिकरण की वास्तविक स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होगा।

16. संदर्भ सूची

1. Government of India, Ministry of Rural Development. दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) से संबंधित आधिकारिक उपलब्धियाँ एवं आँकड़े.

2. Ghosh, S., Singha Mahapatra, M., Tandon, N., & Tandon, D. (2024). Achieving Sustainable Development Goal of Women Empowerment: A Study among Self-help Groups in India. FIIB Business Review, 13(4), 477–491.

3. Cheek, J. Z., & Corbett, P. E. (2024). Public decision making by women's self-help groups and its contributions to women's empowerment: Evidence from West Bengal, India. World Development Perspectives, 33, 100549.

4. Jaiswal, J. K., Kumar, B., & Kumari, P. (2024). Women Empowerment through Self-help Groups: A Systematic Review and Research Agenda. Journal of Management and Entrepreneurship, 18(2), 99–115.

5. Paray, J. M. (2023). Empowerment of Women Through Self-Help Groups: An Empirical Study Using Structural Equation Modeling.

6. Singh, T., & Pande, S. (2022). Empirical Study on Self Help Groups Active Participation in Empowering Women, Punjab, India. Studies of Applied Economics, 40(2).

7. UN Women. Leading from the Front: From Landless Migrant Labour to Fierce Community Leader – Barwani, Madhya Pradesh.

8. Aga Khan Rural Support Programme (India). Madhya Pradesh Programme: Self-Help Groups, federations and livelihood development.

9. Azim Premji University. Grassroot women leaders engage with local governance: evidence and practices concerning women's participation in local democracy.

10. World Bank तथा अन्य सहकर्मी-समीक्षित अध्ययनों से SHGs, सामूहिक कार्रवाई और महिला सशक्तिकरण संबंधी साहित्य को अंतिम संस्करण में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।